कार्यालय वनमंडलाधिकारी वनमंडल, खैरागढ़ जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

E_Mail :- khairagarhdfo@yahoo.com, Phone & Fax - (07820) 234278

क्रमांक / मा.चि. / न.क्र. 2–14 / 69 खैरागढ़, दिनांक 7 / 01 / 2020

प्रति,

श्री रवि सिंग,
ACEO CHIPS
एसडीसी बिल्डिंग सिविल लाईन
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत नेट / स्काई परियोजना के तहत मार्ग के समानांतर भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वनभूमि कुल 4.681 हे. के व्यपवर्तन की स्वीकृति बाबत्।**

संदर्भ :– आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक / 2944 / ACEO / CHIPS / BharatNet / 2019 दिनांक 27.12.2019

–000–

संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि खैरागढ़ वनमंडल के अंतर्गत विभिन्न परिक्षेत्रों के अधिन मार्ग के समानांतर 4.403 हे. वनभूमि एवं 0.278 हे. राजस्व वन भूमि कुल 4.681 हे. में भूमिगत आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि एवं राजस्व वनभूमि के व्यपवर्तन के लिये दिनांक 07.12.2019 को ऑनलाईन पंजीयन की कार्यवाही की गई है।

अवगत हो कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.) छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक / भू–प्रबंध / खनिज / 331–29 / 927ए दिनांक 09.04.2019 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्तुतीकरण हेतु 44 बिन्दुओं की चेकलिस्ट का पुर्ननिर्धारण किया गया है। इस हेतु उक्त पत्र एवं 44 चेकलिस्ट की छायाप्रति संलग्न है। 44 चेकलिस्ट में से आवेदक संस्थान को जिन चेकलिस्टों की पूर्ति की जानी है उसका अवलोकन करते हुए प्रस्ताव मय डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट सहित 06 प्रतियों में इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि विभागीय स्तर के चेकलिस्टों की पूर्ति कर प्रस्ताव प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :– नवीन चेकलिस्ट

वन मंडल अधिकारी,
खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी
आवक क्र. 1539
दिनांक 18.4.19

E-RECEIPT
क्र. 1575 दि. 16.4.19
शाखा मा.चि
व.मं.अ. खैरागढ़

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840
ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) दुर्ग वृत्त दुर्ग (छत्तीसगढ़)
क्र. 287
दि. 16.04.19

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/ 331–29/ 927 - A रायपुर, दिनांक 09/04/2019

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

विषय: – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्तुतीकरण हेतु 44 बिन्दुओं की चेक लिस्ट का पुर्ननिर्धारण करने बाबत् ।

संदर्भ: 1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–43/1509 दिनांक 07.07.2011
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–33/ 2005/ 10–2 दिनांक 22.02.2019

※ ※ ※ ※ ※

1. कृपया संदर्भ पत्र–1 का स्मरण हो जिसके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्तुतीकरण हेतु 44 बिन्दुओं की चेक लिस्ट का निर्धारण किया गया था।

2. उक्त पत्र के अनुसार वन मंडलाधिकारियों द्वारा आप्टिकल फायबर बिछाये जाने के विशेष प्रकरणो को छोड़कर यूजर एजेंसी से 44 बिन्दुओं की चेकलिस्ट अनुसार वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव प्राप्त किये जाते है।

3. अब शासन ने संदर्भ पत्र–2 के माध्यम से एक प्रकरण (बरोंद विस्तार एक्सपेंशन 3 एम.टी.वाय खुली खदान एस.ई.सी.एल 238.373 हे.) में यह निर्देशित किया है कि –

क. विषयांकित प्रकरण के आवरण पत्र में उक्त 44 बिन्दुओं की चेक लिस्ट के क्रमवार बिन्दुओं (जो बिन्दु प्रस्ताव में लागू हों।) का लेख किया जाये तथा प्रत्येक बिन्दु के अंत में चेक लिस्ट का क्रमांक तथा संबंधित पत्राचार/अभिलेख जो प्रस्ताव में संधारित हो की पृष्ठ संख्या का वर्णन भी दर्शित किया जाये।

ख. कृपया विषयांकित प्रकरण के आवरण पत्र में संशोधन करने तथा इस राज्य शासन को प्रेषित किये जाने वाले आगामी प्रकरणों में भी उक्तानुसार आवरण पत्र लेख किया जावे।

4. बिन्दु 3 अनुसार राज्य शासन ने निर्देश देते हुए पूर्व प्रेषित आवरण पत्र में संशोधन करने के लिये प्रस्ताव भी मूलतः वापस किया है।

5. इससे स्पष्ट है कि भविष्य में प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये राज्य शासन को भेजे जाने वाले प्रत्येक प्रस्ताव के आवरण पत्र को बिन्दु 3क. अनुसार तैयार किया जाना होगा।

6. अतः सभी अधिनस्थ वन मंडलाधिकारियों को अपने स्तर से भी सूचित करे कि बिन्दु 3क. अनुसार आवरण पत्र तैयार करते हुए प्रस्ताव आपके कार्यालय को भेजा जावे तथा आपके कार्यालय से इस कार्यालय को प्रस्ताव प्रेषित करते समय बिन्दु 3क. अनुसार ही आवरण पत्र भेजा जावे।

7. उपरोक्त निर्देश का शत–प्रतिशत पालन सुनिश्चित करे ताकि उपरोक्तानुसार आवरण पत्र न होने की स्थिति में प्रस्ताव मूलतः वापस करने की और अनावश्यक विलंब की स्थिति न बने।

11-04-2019

8. 44 बिन्दुओं को शामिल करते हुए तैयार किये गये एक आवरण पत्र का नमूना सुविधा हेतु संलग्न है। प्रत्येक आवरण पत्र में समस्त 44 बिन्दु टंकित किये जावे तथा जो बिन्दु लागू न हो उनके बारे में औचित्य सहित उल्लेख किया जावे।

संलग्नः नमूने की प्रति 03 पृष्ठीय

(प्रारूप प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

(अतुल कुमार शुक्ला)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–29/ 327 – 8 रायपुर, दिनांक 09/04/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) छत्तीसगढ़ ।

संलग्नः नमूने की प्रति 03 पृष्ठीय

2. लेखा अधीक्षक, भू–प्रबंध प्रभाग। बिन्दु 3क अनुसार आवरण पत्र होने की स्थिति में मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से प्रेषित प्रस्ताव स्वीकार किये जाये।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
o/c छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.अधि./[illegible]/ 2989 दुर्ग, दिनांकः 16 /04/2019

प्रतिलिपि :– समस्त वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वृत्त की ओर सहपत्रों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए समुचित कार्यवाही करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
16/4/19

149- Letter Made 2019 (1)

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
भू–प्रबंध
अटल नगर, रायपुर

विषयः – **Diversion of Forest land for Non-Forestry purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for ——————————————————.**
पंजीयन क्रमांक – ——————

संदर्भः वन मंडलाधिकारी ——————— का पत्र क्रमांक/ —— दिनांक ——

–00–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार वन मंडलाधिकारी ——— द्वारा अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेकलिस्ट बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है:

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) –

टीप दी जावे।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) –

टीप दी जावे।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) –

टीप दी जावे।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ-- से – तक) – टीप दी जावे।

- 1 -Naman Patak

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक)— टीप दी जावे।

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक)— टीप दी जावे।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक)— टीप दी जावे।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 37. **Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance** (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक)— टीप दी जावे।

बि.क्र. 38. **A detailed note on Soil Productivity or the lack of it** (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ— से — तक) — टीप दी जावे।

बि.क्र. 40. **Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ– से – तक)– टीप दी जावे।**

बि.क्र. 41. पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विबरण (प्रस्ताव पृष्ठ– से – तक)– टीप दी जावे।

बि.क्र. 42. वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ– से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ– से – तक) – टीप दी जावे।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ– से – तक) – टीप दी जावे।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है।

इस स्थान पर उपरोक्त बिन्दुवार दी गई टीप के आधार पर समग्रता में संक्षिप्त टीप दी जावे जिसमें वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन / वन्य प्राणी क्षेत्र से दूरी /क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण / एफ.आर.ए/पर्यावरण क्लयीरेंस / कास्ट बेनिफिस एनालिसिस/वृक्षों का गणना पत्रक आदि का उल्लेख हो तथा अन्य कोई बिन्दु जिसे मुख्य वन संरक्षक महत्वपूर्ण समझे शामिल की जावे। साथ ही मुख्य वन संरक्षक अपना अभिमत/अनुशंसा भी स्पष्ट रूप से शामिल करे।

नाम एवं हस्ताक्षर
(मुख्य वन संरक्षक)
—— वृत्त